(63)

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–87/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।

कार्यवृत्त

पत्रांकः– 1669 /सक/वन अधि0अधि0/2017–18 दिनांकः 30/10/2017

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय–समय पर संसोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.08.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 30.10.17 को जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित और अन्य परामपरागत वन निवासी के Right व Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु 3.69 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 104 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सिंचाई खण्ड देहरादून को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा–6(1) के अनुसार गडूल ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 26.09.2017 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया हैं। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा–6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी ऋषिकेश की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 06.10.2017 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

(अनुराग शंखधर)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून।
सदस्य

(एच0के0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग देहरादून।
सदस्य

(एस0ए0मुरूगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून।
अध्यक्ष

Annexure-1

FORM-I

For linear Projects

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

****

No...1669 /सत्र /वन आदि० आदि० /2017-18 Dated....30/10/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 3.69 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Irrigation Department Dehradun (Name of User agency) for Constuction of Suryadhar lake and approach Civil Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Gadul (s) in Rishikesh tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 3.69 hectares of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
b. the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3,(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
c. the proposal does not invole recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

(Full name and offial seal of the District collector)

जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

Annexure-II

FORM-I

(For Project other than linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

****

No...1669../ला०/ 97 आर० आर०/2017-18 Dated..30/10/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 3.69 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Irrigation Department Dehradun (Name of User agency) for Constuction of Suryadhar lake and approach Civil Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Gadul (s) in Rishikesh tehsils.It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire **3.69 hectares** of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2

b. the proposal for sach diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

c. the each of concerned Gram Sabh(s), has certified that all formalities/prpceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Gadul villages.

d. the discussion and decision on sach proposal had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas have given their consent to it.

e. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Grama sabhas have given their consent to it.

f. the rights of primtive Tribal Groups and pre-Agariculture Communities where application have been Specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature

जिला मजिस्ट्रेट देहरादून

(Full name and offial seal of the District collector)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश, देहरादून

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (3.06 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.33 है0 नाप भूमि) वनभूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून के पक्ष में हस्तांतरण हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश), की बैठक दिनांक 6-10-17 का कार्यवाही विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री इ० गिरी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री इ० गिरी, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश– अध्यक्ष
2. श्री के० के० पैन्यूली, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून– सदस्य
3. श्री महेश प्रताप सिंह, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ऋषिकेश–सदस्य/सचिव
4. श्री बलवन्त सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र गडूल– सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (3.06 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.33 है0 नाप भूमि) वनभूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून के पक्ष में के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि झील व पहुँच मार्ग/सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (3.06 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.33 है0 नाप भूमि) वनभूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महेश प्रताप सिंह
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - डोईवाला
जनपद - देहरादून, उत्तराखण्ड

बलवन्त सिंह
बी०पी० सदस्य

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश,
देहरादून

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

(27)

कार्यालय
ग्राम पंचायत गडूल
तहसील–ऋषिकेश जिला देहरादून।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में सिंचाई खण्ड देहरादून के अन्तर्गत झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (3.06 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.33 है0 नाप भूमि) वन भूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गडूल द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में सिंचाई खण्ड देहरादून द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम गडूल के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि सिंचाई खण्ड देहरादून को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (3.64 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल़/समाज भूमि, 0.35 है0 नाप भूमि) वन भूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून को झील व पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

26.4.2017

ग्राम सचिव 27-09-2017
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......
वि०ख० डोईवाला, जिला देहरादून

27-09-2017
(श्रीमती कमला)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गडूल
वि० ख० डोईवाला देहरादून
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत गडूल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)		
(2)	नरेन्द्र सिंह पुण्डीर	[signature]
(3)	धर्मपाल सिंह	[signature]
(4)	अशोक सिंह	[signature]
5	राजपाल सिंह	[signature]
6	बुद्धसिंह सोलंकी	बुद्धसिंह
7	रघुवीर सिंह	[signature]
8	धनपाल सिंह	धनपाल सिंह
9	बलबीर सिंह	बलबीर सिंह
10	कमल कुमार	[signature]
11)	आशीष	[signature]
12)	नरपाल सिंह	[signature]
13)	जयप्रकाश	जयप्रकाश
14	जयराजसिंह	जयराजसिंह
15	सोबन सिंह	सोबन सिंह
16	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
17	आशीष सिंह	आशीष सिंह
18	तारा सिंह	तारा सिंह
19	अनिल	अनिलसिंह
20	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
21	किशोरी	[thumbprint]

कमला पुण्डीर
(श्रीमती कमला पुण्डीर)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गडूल
वि० ख० डोईवाला, देहरादून